प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनाँक 30.05.2024

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः-

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी द्वारा गौरीफंटा स्थित भारत-नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा थाना गौरीफंटा का निरीक्षण किया गया

आज दिनांक 30.05.2024 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना गौरीफंटा स्थित गौरीफंटा अंतर्राष्ट्रीय चेकपोस्ट का निरीक्षण किया गया और वहां उपस्थित सीमा शुल्क विभाग व सशस्त्र सीमा बल के अधिकारी व कर्मचारियों की उपस्थिति में भारत में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की निगरानी व चेकिंग सुनिश्चित कराई गई। गौरीफंटा पुलिस चौकी ,कवच सेल चौकी का निरीक्षण किया गया व उपस्थित पुलिसकर्मियों को आगामी दिनांक 01.06.2024 को होने वाले मतदान के संबंध में सतत निगरानी व चेकिंग सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। इसके उपरांत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना गौरीफंटा के अपराध रजिस्टर का अवलोकन किया गया। उपस्थित पुलिसकर्मियों को चुनाव की दृष्टिगत सतर्क निगरानी सुनिश्चित किए जाने हेतु बताया गया। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी पलिया, प्रभारी निरीक्षक गौरीफंटा ,सहायक कमांडेंट SSB, सुप्रिटेंडेंट सीमा शुल्क विभाग व अन्य पुलिस कर्मी उपस्थित रहे |

थाना धौरहरा पुलिस द्वारा, लूट का 24 घण्टे में खुलासा 1100 रुपये नगद, घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा, 01 अवैध चाकू बरामद कर 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम, व वांछित/वारंटी अभियुक्तों के विरूद्ध गिरफ्तारी एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 28.05.2024 को श्री सन्तोष कुमार पुत्र तेजी नि0 ग्राम पिपरिया मजरा कुम्हेना थाना धौरहरा जनपद खीरी ने 04 अज्ञात बदमाशो द्वारा रात्रि 11.00 बजे सिसैय्या ढखेरवा रोड रामलीला ग्राऊण्ड के पास पुलिया के पास मोटर साईकिल रोक कर कनपटी पर अवैध तमंचा लगाकर मु0 2000/- रू0 व एक एन्ड्राइड मोबाइल लूटे जाने व जान से मारने की धमकी की सूचना थाना धौरहरा पर दी थी जिस पर तत्काल मु0अ0सं0 264/2023 धारा 392/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।

उच्चाधिकारीगणों द्वारा टीमें गठित कर तत्काल सफल अनावरण हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में आज दिनांक 30.05.2024 को गठित टीम द्वारा 24 घण्टे के अन्दर सुबह समय करीब 04.30 बजे नरैना बाबा रोड पर जी.जी.आई.सी. स्कूल से आगे राहुल सिंह की आम की बाग मे से चारो अभियुक्तगण क्रमशः 1. दिलशाद पुत्र एकलाख निवासी मो0 आचार्य टोला कस्बा व थाना धौरहरा जिला खीरी 2. समीर शेख पुत्र बब्लू शेख निवासी मो0 बारिन टोला कस्बा व थाना धौरहरा जनपद लखीमपुर खीरी 3. रोहित नाग पुत्र रामअवतार निवासी मो0 आचार्य टोला कस्बा व थाना धौरहरा जिला खीरी 4. निशेष उर्फ चोटू पुत्र सुरेश बारी निवासी मो0 कोरियाना कस्बा व थाना धौरहरा जिला खीरी को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर एक अदद चाकू ,एक अदद VIVO मोबाइल एण्ड्रायड व 1100 रूपया नकद बरामद हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण-

1.दिलशाद पुत्र एकलाख निवासी मो0 आचार्य टोला कस्बा व थाना धौरहरा जिला खीरी
2.समीर शेख पुत्र बब्लू शेख निवासी मो0 बारिन टोला कस्बा व थाना धौरहरा जनपद लखीमपुर खीरी
3. रोहित नाग पुत्र रामअवतार निवासी मो0 आचार्य टोला कस्बा व थाना धौरहरा जिला खीरी
4. निशेष उर्फ चोटू पुत्र सुरेश बारी निवासी मो0 कोरियाना कस्बा व थाना धौरहरा जिला खीरी

बरामदगी का विवरण

1- 1100 रुपये नगद
2- तमंचा 315 बोर व कारतूस
3- अवैध चाकू

गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

1- उ0नि0 श्री रामजीत यादव थाना धौरहरा
2- उ0नि0 श्री मोहन सिंह
3- हे0का0 मनोज सिंह
4- हे0का0 ओमप्रकाश

<u>थाना भीरा पुलिस द्वारा, 01 नफर गैंगेस्टर एक्ट सम्बन्धित अभियुक्त को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफतार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम, व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 30.05.2024 को गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित एक नफर अभियुक्त रहमत अली पुत्र मौ0 अली नि0ग्राम कुकरा थाना मैलानी जनपद खीरी को 01 अदद अवैध देशी तमंचा .12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस .12 बोर के साथ रपटा पुल के पास भीरा कुकरा रोड बहद ग्राम भीरा से गिरफ्तार किया गया उपरोक्त गिरफ्तार शुदा अभियुक्त के विरुद्ध गिरफ्तारी/बरामदगी फर्द के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 238/2024 धारा 3/25 A Act पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1. रहमत अली पुत्र मौ0 अली उम्र करीब 24 वर्ष नि0ग्राम कुकरा थाना मैलानी जनपद खीरी

<u>बरामदगीः-</u>

रहमत अली पुत्र मौ0 अली उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा .12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस .12 बोर बरामद होना ।

<u>आपराधिक इतिहासः-</u>

1. मु0अं0स0 003/24 धारा 5/8 गो0नि0अधि0 थाना मैलानी जनपद खीरी
2. मु0अं0स0 173/24 धारा 2(ख)(17)/3 उ0प्र0 गिरोह बन्द अधि0 व समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 थाना मैलानी जनपद खीरी
3. मु0अ0सं0 238/2024 धारा 3/25 A Act थाना भीरा खीरी

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. थानाध्यक्ष श्री पंकज त्रिपाठी थाना भीरा जनपद खीरी
2. उ0नि0 श्री मो0 जुबेर अहमद थाना भीरा जनपद खीरी
3. कां0 अजहरुद्दीन थाना भीरा जनपद खीरी

थाना नीमगांव पुलिस द्वारा, मु0अ0सं0 177/2024 धारा 147/148/149/323/504/506/427/307/452 भादवि से संबंधित 21 अभियुक्तों को अवैध तमंचा व कारतूस सहित गिरफ्तार कर मा० न्यायालय भेजा गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी मितौली महोदय के कुशल मार्गदर्शन व थानाध्यक्ष नीमगांव के नेतृत्व में थाना नीमगांव पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 177/2024 धारा 147/148/149/323/504/506/427/307/452 भा0द0वि0 से संबंधित वांछित/प्रकाश में आये 21 नफर अभियुक्तगण 1.राजू 2. मनमोहन 3. ज्ञानेन्दर पुत्रगण बाबूराम 4.रमेशचन्द्र 5. अवधेश पुत्रगण मंगरे लाल 6. ललित 7. अमित पुत्रगण बिन्द्रा प्रसाद 8. अंशुल 9. अवनीश पुत्रगण रमेशचन्द्र 10. अनमोल पुत्र अवधेश सर्वनिवासीगण ग्राम लखहा थाना नीमगाव जनपद खीरी 11. अजय पुत्र राममूर्ति निवासी बिलरिया थाना फरधान जनपद खीरी 12. संजय पुत्र सालिकराम निवासी गुलरीपुरवा थाना खीरी जनपद खीरी 13. अंकित पुत्र वीरेन्द्र निवासी ग्राम व थाना फरधान जनपद खीरी 14. रणधीर पुत्र सुरेश निवासी लखहा थाना नीमगांव जनपद खीरी 15. विजय पुत्र राममूर्ति निवासी बिलरिया थाना फरधान जनपद खीरी 16. दिलीप पुत्र रामनरेश निवासी बिलरिया थाना फरधान खीरी 17. रवीन्द्र पुत्र रामचन्द्र निवासी बिलरिया थाना फरधान खीरी 18. रजनीकांत पुत्र इन्द्रपाल निवासी लखहा थाना नीमगांव खीरी 19. जयशंकर वर्मा पुत्र जनार्दन प्रसाद निवासी जानमुबारकपुर थाना खीरी जनपद खीरी 20. सुनील पुत्र हरवंशलाल निवासी झसियापुर थाना खीरी जनपद खीरी 21. रामखेलावन पुत्र भारतप्रसाद निवासी बिलरिया थाना फरधान खीरी को गिरफ्तार करके मा० न्यायालय के समक्ष भेजा गया है। साथ ही अभियुक्तगण 1.संजय पुत्र सालिकराम निवासी गुलरीपुरवा थाना खीरी जनपद के पास से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस 12 बोर

2.राजू पुत्र बाबूराम के पास से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर 3.अवधेश पुत्र मंगरेलाल निवासीगण ग्राम लखहा थाना नीमगांव जनपद खीरी के पास से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर 4.रवीन्द्र पुत्र रामचन्द्र निवासी बिलरिया थाना फरधान खीरी के पास से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामदगी के आधार पर क्रमशः मु0अ0सं0 178/24 धारा 3/25 आयुध अधि0 व मु0अ0सं0 179/24 धारा 3/25 आयुध अधि0 व मु0अ0सं0 180/24 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार वांछित अभियुक्तगण का विवरण-</u>

1.संजय पुत्र सालिकराम निवासी गुलरीपुरवा थाना खीरी जनपद खीरी उम्र करीब 39 वर्ष
2.राजू उर्फ अविनाश पुत्र बाबूराम निवासी लखहा थाना नीमगांव जनपद खीरी उम्र करीब 37 वर्ष
3.अवधेश पुत्र मंगरे निवासी लखहा थाना नीमगांव जनपद खीरी उम्र करीब 48 वर्ष
4.रवीन्द्र कुमार पुत्र रामचन्द्र उम्र करीब 25 वर्ष निवासी बिलरिया थाना फरधान जनपद खीरी
5.अजय पुत्र राममूर्ति उम्र करीब 26 वर्ष निवासी बिलरिया थाना फरधान जनपद खीरी
6.मनमोहन पुत्र बाबूराम निवासी लखहा थाना नीमगांव जनपद खीरी उम्र करीब 43 वर्ष
7.अंकित पुत्र वीरेन्द्र उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम बिलरिया थाना फरधान जनपद खीरी
8.ज्ञानेन्द्र पुत्र बाबूराम निवासी लखहा थाना नीमगांव जनपद खीरी उम्र करीब 34 वर्ष
9.रणधीर पुत्र सुरेश निवासी बिलरिया थाना फरधान जनपद खीरी उम्र करीब 25 वर्ष
10.विजय पुत्र राममूर्ति निवासी बिलरिया थाना फरधान जनपद खीरी उम्र करीब 27 वर्ष
11.रमेशचन्द्र पुत्र मंगरेलाल निवासी लखहा थाना नीमगांव जनपद खीरी उम्र करीब 48 वर्ष
12.अंशुल पुत्र रमेशचन्द्र निवासी लखहा थाना नीमगांव जनपद खीरी उम्र करीब 18 वर्ष
13.दिलीप पुत्र रामनरेश निवासी बिलरिया थाना फरधान जनपद खीरी उम्र करीब 27 वर्ष
14.ललित पुत्र विन्द्राप्रसाद निवासी लखहा थाना नीमगांव जनपद खीरी उम्र करीब 27 वर्ष
15.अवनीश पुत्र रमेशचनद्र निवासी लखहा थाना नीमगांव जनपद खीरी उम्र करीब 20 वर्ष
16.रजनीकांत पुत्र इंद्रपाल निवासी बिलरिया थाना फरधान जनपद खीरी उम्र करीब 25 वर्ष
17.अमित पुत्र विन्द्रा प्रसाद निवासी लखहा थाना नीमगांव जनपद खीरी उम्र करीब 27 वर्ष
18.अनमोल पुत्र अवधेश निवासी लखहा थाना नीमगांव जनपद खीरी उम्र करीब 18 वर्ष
19.रामखेलावन पुत्र भारत प्रसाद निवासी निवासी बिलरिया थाना फरधान जनपद खीरी उम्र करीब 40 वर्ष
20.जयशंकर वर्मा पुत्र जनार्दन प्रसाद निवासी जानमुबारकपुर थाना खीरी जनपद खीरी उम्र करीब 32 वर्ष
21.सुनील पुत्र हरवंश निवासी झसियापुर थाना खीरी जनपद खीरी उम्र करीब 20 वर्ष

<u>बरामदगी का विवरण</u>

01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस 12 बोर
03 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 श्री आशीष सहरावत चौकी प्रभारी सिकन्द्राबाद थाना नीमगांव जनपद खीरी
2.उ0नि0 श्री प्रभात कुमार गुप्ता चौकी प्रभारी बेहजम थाना नीमगांव जनपद खीरी
3.उ0नि0 श्री शिव कुमार सिंह थाना नीमगांव जनपद खीरी
4.हे0का0 महेन्द्र यादव थाना नीमगांव जनपद खीरी
5.का0 अवधेश कुमार थाना नीमगांव जनपद खीरी
6.हे0का0 श्रवण कुमार थाना नीमगांव जनपद खीरी
7.हे0का0 संजय सिंह थाना नीमगांव जनपद खीरी
8.हे0का0 अजय कुमार पाण्डेय थाना नीमगांव जनपद खीरी
9.का0 यतेन्द्र कुमार थाना नीमगांव जनपद खीरी
10.का0 हैप्पी यादव थाना नीमगांव जनपद खीरी
11.का0 सुनील कुमार थाना नीमगांव जनपद खीरी
12.का0 अनुज कुमार थाना नीमगांव जनपद खीरी
13.का0 कुलदीप कुमार थाना नीमगांव जनपद खीरी

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही; विगत 24 घंटे में 20 लीटर अवैध शराब बरामद कर 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **20 लीटर अवैध शराब** बरामद कर **02 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **02 अभियोग** पंजीकृत किए गए।